

मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम

प्रशासन प्रभाग

पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल।

क्रमांक /स्था-3/प्रशा/पविनि/14

भोपाल, दिनांक /07/2014

//आदेश//

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम में आदेश क्रमांक 6110-6111 दिनांक 26/05/2008 द्वारा वर्तमान में लागू वाहन भत्ता की पेट्रोल की घटती बढ़ती दरों के अनुसार वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त के साथ-साथ यह भी आदेशित किया गया था कि भविष्य में जब-जब पेट्रोल की दरों में वृद्धि तो निगम कर्मियों को पात्रता अनुसार बड़ी हुई दरों पर वाहन भत्ता का भुगतान तत् समय लागू दरों के अनुसार वित्त शाखा द्वारा संशोधित कर भुगतान किया जावेगा।

वाहन भत्ता स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा छटवें वेतनमान में पात्रता निर्धारण हेतु मार्ग दर्शन चाहा जाता है वाहन भत्ता एवं स्वीकृति हेतु सुविधा की दृष्टि से छटवे वेतनमान में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे के अनुसार अधोलिखित तालिका अनुसार पात्रता निर्धारित की जाती है।

क्रं.	वाहन का प्रकार	ग्रेड पे	पेट्रोल की पात्रता
1.	कार भत्ता	5400 और अधिक	40 लीटर पेट्रोल प्रतिमाह
2.	मोटर साइकिल भत्ता	2400 से 4800 तक	25 लीटर पेट्रोल प्रतिमाह
3.	मोपेड भत्ता	1300 से 2100 तक	15 लीटर पेट्रोल प्रतिमाह
4.	साइकिल/बस भत्ता	—	500/— प्रतिमाह

कार्यपालिक निदेशक द्वारा अनुमोदित।

उपमहाप्रबंधक (प्रशासन)

प.क्रमांक 6344/स्था-3/प्रशा/पविनि/14

भोपाल, दिनांक 07/07/2014

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, निगम मुख्यालय, भोपाल।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, निगम मुख्यालय, भोपाल।
3. महाप्रबंधक (वित्त), निगम मुख्यालय, भोपाल।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/पचमढ़ी/ग्वालियर/खजुराहो।
5. समस्त मार्केटिंग कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल/नागपुर/अहमदाबाद।
6. समस्त उपमहाप्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक/प्रभारी प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम इकाई.....।
7. लेखाधिकारी, लेखा/परिवहन शाखा, निगम मुख्यालय भोपाल।
8. आदेश नस्ती/सूचना पटल पर चरप्पा हेतु।

उपमहाप्रबंधक (प्रशासन)